न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः—दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 16 / 2022 **दायर दिनांकः 22 / 04 / 2022**

उनवान

1. राजू आयु 56 वर्ष पुत्र रतनलाल जाति बैरवा निवासी लोलाहेडी तहसील अटरू जिला बारां राज0।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, तहसील अटरू जिला बारां राज0।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट

उपस्थिति :—

प्रार्थीः— विद्वान अभिभाषक श्री बद्रीलाल नागर।

निर्णय दिनाकः 17 / 08 / 2022

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषक प्रार्थी उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0 आर0 एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल लोलाहेडी पटवार हल्का बरलां तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 19 का ख0नं0 117 का रकबा 0.03 है0 गै0मु0चाह, ख0नं0 118का रकबा 2.00 है0, ख0नं0 211 का रकबा 0.16 है0, ख0नं0 390 / 44 दक्षिण का रकबा 0.27 है0, ख0नं0 391 / 149 पश्चिम का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 392 / 206 पश्चिम का रकबा 0.05 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 2.57 है0 आराजी प्रार्थी के अन्य सहखातेदारान साथ के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी मे आपके अधिनस्थ कर्मचारीगण ने प्रार्थी को घर पर राजाराम कहने के कारण प्रार्थी का नाम राजराम गलत दर्ज कर दिया है जबकि सही नाम राजू है। प्रार्थी के दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, राशनकार्ड, बैंक पास बुक, ग्राम पंचायत बरलां के प्रमाण पत्र में प्रार्थी का नाम राजू सही दर्ज है। आराजी प्रार्थियागण एवं अन्य सहखातेदारान के दर्ज खाता स्थित है। नवीन नकल जमाबन्दी साथ में संलग्न है। प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में आपके अधिनस्थ बिना सहायता न्यायालय प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम राजाराम के स्थान पर सही नाम राजू दर्ज करवाया जाना संभव नहीं है। अगर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1

में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम राजू सही दर्ज नहीं किया गया तो प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी तथा अनेकानेक वाद विवादों में उलझना पडेगा तथा सरकारी सहायता से वंचित होना पडेगा। अस्तु प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम राजाराम के स्थान पर सही नाम राजू दर्ज किया जावे। अन्य कारण बवक्त बहस मौखिक निवेदन किये जावेगे। अतः माननीय न्यायालय में प्रार्थी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थना पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी में प्रार्थी का नाम राजाराम के स्थान पर सही नाम राजू दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी को प्रदान करने की कृपा करे।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने के कारण उसके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3. साक्ष्यवादी के तहत pw1 राजू पुत्र रतनलाल जाति बैरवा निवासी लोलाहेडी, pw2 चौथमल पुत्र रतनलाल जाति बैरवा निवासी लौलाहेडी तहसील अटरू का शपथ पत्र गवाह पेश किया है। साक्ष्य गवाहों ने अपने शपथ पत्र में बताया कि ग्राम एवं माल लोलाहेडी पटवार हल्का बरलां तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी खाता संख्या 19 का ख0नं0 117 का रकबा 0.03 है0 गै0मु0चाह, ख0नं0 118का रकबा 2.00 है0, ख0नं0 211 का रकबा 0.16 है0, ख0नं0 390/44 दक्षिण का रकबा 0.27 है0, ख0नं0 391/149 पश्चिम का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 392/206 पश्चिम का रकबा 0.05 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 2.57 है0 आराजी प्रार्थी के अन्य सहखातेदारान साथ के दर्ज खाता स्थित है जिसमें प्रार्थी का नाम राजाराम के स्थान पर दस्तावेजों के आधार पर सही नाम राजू दर्ज किया जावे।

3. अभिभाषक प्रार्थी की एक तरफा बहस सुनी। बहस के प्रकाश में उपलब्ध रिकार्ड एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम लोलाहेडी की प्रस्तुत जमाबन्दी संवत 2071–2074 के खाता संख्या 19 किता 6 कुल रकबा 2.57 है0 आराजी में प्रार्थी का नाम शामलाती खाते में राजाराम पुत्र रतनलाल दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी द्वारा पेश अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड प्रदर्श 2ए में राजू बैरवा पुत्र रतनलाल, पेन कार्ड प्रदर्श 3ए में राजू बैरवा पुत्र रतनलाल राशन कार्ड प्रदर्श 4ए में राजू बैरवा पुत्र रतनलाल, एस.बी.आई. कवाई बैंक पासबुक प्रदर्श 5ए में

राजू बैरवा पुत्र रतनलाल दर्ज है। ग्राम पंचायत बरलां के प्रमाण पत्र दिनांक 04.04.2022 प्रदर्श 6 अनुसार राजू व राजाराम दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है। उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों के अवलोकन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रार्थी का सही नाम राजू है।

5. अतः रिकार्ड एवं साक्ष्य के आधार पर न्यायहित में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::क्रियात्मक आदेश::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम एवं माल लोलाहेडी पटवार हल्का बरलां तहसील अटरू जिला बारां राज0 की आराजी ख0नं0 117 का रकबा 0.03 है0 गै0मु0चाह, ख0नं0 118का रकबा 2.00 है0, ख0नं0 211 का रकबा 0.16 है0, ख0नं0 390/44 दक्षिण का रकबा 0.27 है0, ख0नं0 391/149 पश्चिम का रकबा 0.06 है0, ख0नं0 392/206 पश्चिम का रकबा 0.05 है0 कुल किता 6 का कुल रकबा 2.57 है0 आराजी में सहखातेदार राजाराम पुत्र रतनलाल के स्थान पर राजू उर्फ राजाराम पुत्र रतनलाल राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करें।

निर्णय आज दिनांक 17.08.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां